Name of village	Tehsil	District	Area in Acres	Directions
Asodha Sewan *concld*	Bahadurgarh *concld*	Rohtak *concld*		81/1, 10, 11/1, 11/2, 20, 21, 91/1, 10, 11, 20, 21, 92/1, 10, 93/15, 6, Path 129, 130, 149, 150, 174, 345, 346, 152, 125

By Order of Governor of Haryana.

(Sd.) . . . . .,
Superintending Engineer,
W.J.C. East Circle, Delhi.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 16 दिसम्बर, 1983

सं. ओ.वि./एफ.डी./269–83/65181.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज कैपिटल रबड़ एण्ड प्लास्टिक वर्कस एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री आशा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री आशा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./जी.जी.एन./134-83/65188.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. इण्डियन पोटाश रिसर्च इंस्टीच्यूट, पालम-गुड़गांवा रोड, गुड़गांवा के श्रमिक श्री राम चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी–श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?